शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक : 01.02.2024

थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा गौवंशीय मांस का परिवहन करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तारः

श्री अशोक कुमार मीणा,पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशनुसार, श्री मनोज कुमार अवस्थी,अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व श्री पंकज पंत, क्षेत्राधिकारी पुंवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण अपराध रोकधाम के क्रम मे थाना पुवायां पुलिस टीम द्वारा। दिनांक 01.02.2024 को मुखिबर की सूचना पर प्रतिबन्धित गौमांस का परिवहन कर बिक्री व खरीदने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

आज दिनांक 01.02.2024 को थाना पुवायाँ पुलिस टीम को मुखविर द्वारा सूचना दी गयी कि खुटार रोड से इनायतपुर की ओर जाने वाले खडंजा मार्ग पर स्थित बरौना के जंगलो के बीच स्थित तिराहे पर पेडो की आड मे कुछ व्यक्ति प्रतिबन्धित गौमांस का परिवहन कर बिक्री व खरीदने के उद्देश्य से बैठे हुये है जिनके पास कुछ गौमांस भी है। उक्त सूचना पर थाना पुवायां पुलिस द्वारा अपनी टीम के साथ दबिश देकर एक व्यक्ति को करीब 03.50 कि0ग्रा0 गौ मांस के साथ समय करीब 13.10 बजे पकड लिया गया। अभियुक्त को थाना पुवायाँ पर लाकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

जुनैद पुत्र शफी मोहम्मद निवासी ग्राम कहमरिया थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर उम्र करीब 45 वर्ष।

फरार अभियुक्तः-

1.राजू पुत्र रफीउल्ला निवासी रामपुर मुदारी थाना मोहम्मदी जिला लखीमपुर खीरी
2.मतीउल्ला पुत्र लालमोहम्मद निवासी ग्राम कहमरिया थाना खुटार जिला शाहजहांपुर
3.गुफराम पुत्र वली मोहम्मद निवासी ग्राम कहमरिया थाना खुटार जिला शाहजहांपुर

पंजीकृत अभियोगः -

1. मु0अ0स0 82/24 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध अधिनियम

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त जुनैद पुत्र शफी मोहम्मद के कब्जे से करीब 3.50 किग्रा0 गौवंशीय मांस बरामद हुआ।

गिरफ्तारी टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार राय थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. महिला उप निरीक्षक श्रीमती मंजू चौधरी थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
3. का0 1747 यतेन्द्र चौहान थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 2171 परीक्षित तेवतिया थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
5. का0 2543 जोनी यादव थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर।

पूछताछ विवरणः-

पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं ग्राम कहमरिया थाना खुटार का रहने वाला हूँ। राजू उपरोक्त जोकि एक लाईसेंसी मीट की दुकान जोकि ग्राम महानन्दपुर थाना सिंधौली मे स्थित है उक्त दुकान को ठेके पर लेकर बरेली से लाकर भैसे का मीट बेचता है एवं उसी की आड मे उसने प्रतिबंधित मांस लाकर बिक्री किये जाने की योजना बनायी थी एवं कल दिनांक 31.01.2024 को उसके द्वारा उक्त प्रतिबंधित गौमांस को नमूना के तौर पर एक झोले मे लाकर मुझे व अन्य साथियो को दिखाते हुए कहा था कि यह गौमांस है एवं इसको बेचने पर अच्छा मुनाफा हो सकता है। इसी योजना के तहत हम लोग बरौना स्थित सुनसान जंगल मे बैठकर आगे की योजना तैयार कर ही रहे थे कि किसी को शक होने पर पुलिस को सूचना दे दी गयी थी एवं पुलिस द्वारा अचानक दी गयी दबिश मे मैं एक झौले के साथ जिसमे करीब 3.50 कि0ग्रा0 गौमांस जोकि राजू ने लाकर दिया था को बेचने की योजना बनाते समय पकडा गया एवं मौके से मेरे तीन साथी 1.राजू पुत्र रफीउल्ला निवासी रामपुर मुदारी थाना मोहम्मदी जिला लखीमपुर खीरी 2.मतीउल्ला पुत्र लालमोहम्मद 3.गुफराम पुत्र वली मोहम्मद निवासी ग्राम कहमरिया थाना खुटार जिला शाहजहांपुर भाग गये थे।